भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1455
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

द्वीपवासी कार्ड जारी करना

†1455. श्री बिष्णु पद राय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के जनप्रतिनिधि से द्वीपवासियों का पुन: सर्वेक्षण कराए जाने और छूटे हुए वास्तविक द्वीपवासियों को द्वीपवासी कार्ड जारी करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और छूटे हुए व्यक्तियों को द्वीपवासी कार्ड जारी करने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया क्या है; और

(ग) ऐसे द्वीपवासी कार्डों के अभाव में प्रशासन द्वारा वास्तविक लाभार्थियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें द्वीपवासी के रूप में किस प्रकार मान्यता दी जा रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने सूचित किया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जनप्रतिनिधि से पुन: सर्वेक्षण और छूटे हुए वास्तविक द्वीपवासियों को द्वीपवासी कार्ड जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस मुद्दे पर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विचार-विमर्श किया गया है। द्वीपवासी कार्ड के अभाव में भी, निर्धारित मानदंडों और अधिसूचित दस्तावेजों के आधार पर पात्र वास्तविक निवासियों को समुद्री यात्रा (अंतर-द्वीप और मुख्य भूमि) किराया रियायत, अंतर-द्वीप हेलीकॉप्टर यात्रा किराया रियायत, आदि जैसे लाभ प्रदान किये जाते हैं।

****